न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा (टोंक)
(सुश्री रजनी मीणा आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

प्रार्थना पत्र संख्याः– 304/2020
निर्णय दिनांकः– 25.01.2021

उनवान

1.सुरेश कुमा शर्मा पत्रु मोहनलाल शर्मा जाति ब्राहमण निवासी उनियारा तहसील उनियारा जिला टोंक

–प्रार्थी

बनाम

तहसीलदार तहसील उनियारा जिला टोक (राज0) – प्रतिपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थितः– 1. श्री हरिराजसिंह वकील प्रार्थी
2.पेरोकार सरकार

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार है:–

यह कि प्रार्थी के सयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात खाता संख्या 61 ख0न0 1523 रकबा 0.56, ख0न0 1524 रकबा 0.16, ख0न0 1525 रकबा 0.01, ख0न0 1526 रकबा 0.61, ख0न0 1694 रकबा 0.42, ख0न0 1695 रकबा 0.58, ख0न0 1696 रकबा 0.15, ख0न0 3148 रकबा 3.51 कुल किता 8 कुल 6.00 है0 वाके ग्राम उनियारा तहसील उनियारा जिला टोंक में स्थित है। जिसमें प्रार्थी का हिस्सा 1/5 निहित है।

प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम सुरेश कुमा शर्मा है। प्रार्थी के आधार कार्ड, फोटो पहचान पत्र,राशनकार्ड,मृत्यु प्रमाण पत्र व अन्य दस्तावेजात में प्रार्थी नाम सुरेश कुमार पुत्र मोहन लाल शर्मा अंकित है। परन्तु राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम सहवन से सुरेश चन्द पुत्र मोहन लाल शर्मा अंकित कर दिया गया है, जबकि सही नाम सुरेश कुमार पुत्र मोहन लाल शर्मा है । राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम सुरेश कुमार पुत्र मोहन लाल शर्मा के स्थान पर सहवन से सुरेश चन्द पुत्र मोहन लाल शर्मा दर्ज हो जाने के कारण प्रार्थी को उक्त आराजी की कृषि उपज समर्थन मूल्य में विक्रय करने,कृषि अनुदान प्राप्त करने व अन्य अधिकारों से वंचित होना पड़ रहा है।

यह कि प्रार्थी की अधियाचना है कि प्रार्थी के सयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात खाता संख्या 61 ख0न0 1523 रकबा 0.56, ख0न0 1524 रकबा 0.16, ख0न0 1525 रकबा 0.01, ख0न0 1526 रकबा 0.61, ख0न0 1694 रकबा 0.42, ख0न0 1695 रकबा 0.58, ख0न0 1696 रकबा 0.15, ख0न0 3148 रकबा 3.51 कुल किता 8 कुल 6.00 है0 वाके ग्राम उनियारा तहसील उनियारा जिला टोंक में प्रार्थी का नाम सुरेश चन्द पुत्र मोहन लाल शर्मा के स्थान पर सुरेश कुमार पुत्र मोहन लाल शर्मा अंकित करवाते हुये राजस्व रिकार्ड दुरुस्त करवाने का आदेश प्रदान करे।

उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

उप खण्ड अधिकारी

s/136.95

प्रतिपक्षी पेरोकार सरकार तहसीलदार उनियारा की और से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है कि मुताबिक वर्तमान रिकार्ड के ग्राम रूपवास के खाता सं0 61 में प्रार्थी का नाम सुरेश चन्द पुत्र मोहन लाल शर्मा जाति ब्राहमण दर्ज रिकार्ड है। मुताबिक ग्रामवासियान व जॉंच से सुरेश चन्द पुत्र मोहन लाल शर्मा के स्थान पर सुरेश चन्द पुत्र मोहन लाल शर्मा किया जाना उचित है।

उभय पक्षों की बहसे सुनी गई। बहस पर गौर किया गया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। नकल जमाबन्दी सम्वत 2072–2073 खाता संख्या 61 ख0न0 1523 रकबा 0.56, ख0न0 1524 रकबा 0.16, ख0न0 1525 रकबा 0.01, ख0न0 1526 रकबा 0.61, ख0न0 1694 रकबा 0.42, ख0न0 1695 रकबा 0.58, ख0न0 1696 रकबा 0.15, ख0न0 3148 रकबा 3.51 कुल किता 8 कुलर 6.00 है0 वाके ग्राम उनियारा तहसील उनियारा जिला टोंक में स्थित है। जिसमें प्रार्थी का हिस्सा 1/5 निहित है। प्रार्थी का नाम सुरेश चन्द पुत्र मोहन लाल शर्मा जाति ब्राहमण खातेदार दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत छायाप्रति आधारकार्ड,भामाशाह कार्ड,परिवार राशनकार्ड में प्रार्थी का नाम मंगला पुत्र हरजी व छाया प्रति मतदाता फोटो पहचान पत्र में प्रार्थी का नाम सुरेश कुमार पुत्र मोहन लाल शर्मा दर्ज है। तहसीलदार उनियारा द्वारा प्रस्तुत जवाब में भी ग्राम उनियारा के खाता सं0 61 में प्रार्थी का नाम सुरेश चन्द पुत्र मोहन लाल शर्मा के स्थान पर सुरेश कुमार पुत्र मोहन लाल शर्मा किये जाने की अभिशंषा की गई है।

उपरोक्त विवेचन से न्यायालय प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित समझता है। अतः प्राथीका प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार उनियारा को आदेशित किया जाता है कि वह खाता संख्या 61 वाके ग्राम उनियारा तहसील उनियारा जिला टोंक में दर्ज **सुरेश चन्द पुत्र मोहन लाल शर्मा के स्थान पर सुरेश कुमार पुत्र मोहन लाल शर्मा** दर्ज कर राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। अगर इससे किसी वित्तिय या अन्य किसी संस्था व किसी व्यक्ति का कोई हित प्रभावित होता है तो सम्बन्धित को सूचित करने के लिए प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा ।

यह निर्णय आज दिनांक 25.01.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुश्री रजनी मीणा)
उपखण्ड अधिकारी उनियारा

s.136.96